...यालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारीः- श्रीमति निशा सहारण

राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 93/2016

1. मदनगोपाल पुत्र स्व. श्री अमरचन्द, जाति बाहमण, आयु–48 वर्ष, निवासी 6 ग्राम खातोली, तहसील किशनगढ़ हाल निवासी ओसवाली मौहल्ला मदनगज किशनगढ, जिला अजमेर राजस्थान

2. राजमल उर्फ राजाराम पुत्र अमरचन्द; जाति ब्राहमण, आयु 43 वर्ष, निवासी–ग्राम खातोली, तहसील किशनगढ़ हाल निवासी ओसवाली मौहल्ला मदनगंज किशनगढ़, जिला अजमेर राजस्थान

3. किशन मुरारी उर्फ कृष्णमुरारी पुत्र स्व. श्री अमरचन्द जाति ब्राहमण, आयु–40 वर्ष, निवासी ग्राम खातोली, तहसील किशनगढ हाल निवासी ओसवाली मौहल्ला मदनगंज किशनगढ़, जिला अजनेर राजस्थान

प्रार्थीगण

बनाम्

1. कैलाश पुत्र स्व. श्री अमरचन्द, जाति शमण, निवासी ब्रजविहार कॉलोनी, मदनगज किशनगंढ, जिला अजमेर
2. श्रीमती मुन्नी पत्नि श्री कैलाशचन्द, जाति ब्राहमण, निवासिन ब्रजविहार कॉलोनी, मदनगज किशनगंढ, जिला अजमेर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ, जिला अजमेर राजस्थान
4. उप पंजीयक किशनगढ़, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर राजस्थान

अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित वकील प्रार्थीः- श्री इन्द्रेश कुमार

दिनांक 08.07.2025

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री इन्द्रेश कुमार ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. का. अधि. के तहत पेश कर निवेदन किया कि ग्राम रहीमपुरा पटवार क्षेत्र खातोली, तहसील किशनगढ स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 126/1 रकवा 2 बीघा, 126/2 रकबा 13 बिस्वा एवं खसरा संख्या 174 रकबा 6 बीघा इस प्रकार कुल 8 बीघा 13 बिस्वा के खातेदार बालाबक्श पुत्र बन्शीधर जाति ब्राहमण थे। उपरोक्त बालाबक्श पुत्र बन्शीधर प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी थे। जिनकी वंशावली निम्नानुसार है :-

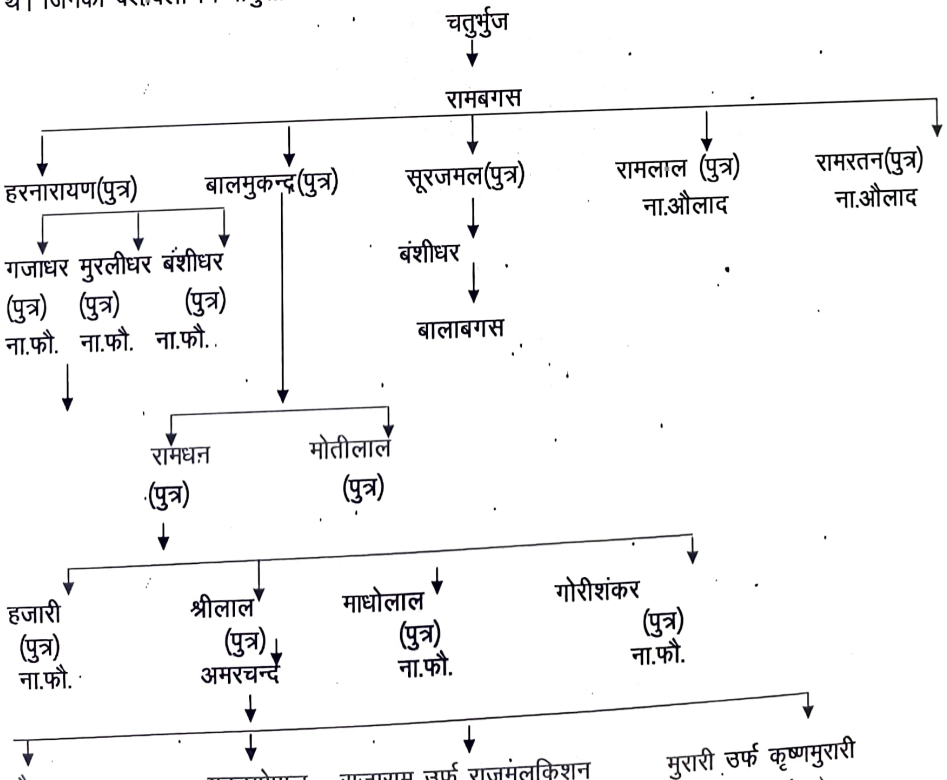

उपरोक्त बालाबक्श पुत्र बंशीधर का दिनांक 22.11.1999 को ग्राम शाहपुरा में दौरानें इलाज उनकी मृत्यु हुयी थी। जिसका पंजीकरण क्रमांक 285 दिनाक 2911.1999 को रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु (अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका शाहपुरा) के कार्यालय में पंजीयन हुआ था। बालाबक्श की उपरोक्त वंशावली के अनुसार एकमात्र वारिस प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 01 के पिता अमरचन्द पुत्र श्रीलाल होने से ग्राम पंचायत खातोली द्वारा सजरा प्रमाण पत्र भी जारी किया गया था। अप्रार्थी संख्या 1 प्राथीगण का भाई होकर अमरचन्द पुत्र श्रीलाल की जाइन्दा सन्तान है एवं अप्रार्थी संख्या 2 उपरोक्त अप्रार्थी संख्या 01 की पत्नि होकर अमरचन्द पुत्र श्रीलाल की पुत्रवधू है। उपरोक्त बालाबवश पुत्र बन्शीधर के देहावसान दिनांक 22.11.1999 को निर्वसतीय हुआ था, उनकी कोई हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों अनुशार प्रथम श्रेणी का वारिस नहीं था। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 01 के पिता ही हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रभावी प्रावधानों अनुसार उनके निकटतम वारिस थे। बालाबक्श पुत्र वन्शीधर कई दशकों से ग्राम फूलियाकला फूला केकड़ी में अधिवास करते थे तथा उनके जीवनकाल से ही उपरोक्त प्रार्थना पत्र पैरा संख्या 1 में वर्णित भूमि को प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 को पिता श्री अमरचन्द काश्त करते थे। प्रार्थीगण के पिता अगरचन्द का भी दिनांक 23.12.2014 को देहावसान हो चुका है। उनके देहावसान पश्चात् प्राथर्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 बहिस्सा बराबर–बराबर उपरोक्त भूमि पर काश्त करते कराते आ रहे है। बालाबक्श पुत्र बन्शीधर का देहावसान 22.11.1999 को निर्वसितीय हुआ था। प्रार्थीगण एवं अप्राथर्थी संख्या 1 के पूर्वाधिकारी उपरोक्त अमरचन्द पुत्र श्रीलाल उपरोक्त भूमि पर विधि अनुसार काबिज हो गये एवं उपरोक्त अमरचन्द पुत्र श्रीलाल के देहावसान पश्चात् प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 स्वतः विधि प्रभाव से काबिज हो गये। अन्यथा भी उपरोका भूमि वालाबक्श पुत्र बन्शीधर की स्वअर्जित सम्पत्ति नही थी। अप्रार्थी संख्या 1, 2 ने आपस में सांठ गांठ कर, उपरोक्त बालाबक्श पुत्र बन्शीधर की मृत्यु ग्राम फूलियाकला में होने का अंकन करवाकर उपरोक्त बालाबक्श पुत्र बन्शीधर का फर्जी कूटरचित रूप से मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के साथ साथ उपरोक्त बालाबवश पुत्र बन्शीधर की फर्जी कूटरचित अलग–अलग दिनांको की वसीयतें बनाकर उपरोक्त प्रार्थना पत्र पैरा संख्या 1 में वर्णित भूमि के बाबत् अप्रार्थी संख्या 2 ने अप्रार्थी संख्या 1 के शह पर अप्रार्थी संख्या 3 के समक्ष नामान्तरण दर्ज किये जाने बाबत् कार्यवाही की है तथा अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त कूटरचित दस्तावेज के आधार पर उपरोक्त प्रार्थना पत्र पैरा संख्या 1 में वर्णित भूमि को विक्रय किये जाने बाबत् विभिन्न व्यक्तियों को प्रस्ताव भी कर रखे है। अप्रार्थी संख्या 1, 2 मिथ्या कूटरचित दस्तावेज बनाने के आदि है। इसी अनुक्रम में उन्होनें उपरोक्त प्रार्थना पत्र पैरा संख्या 7 में वर्णित कूटरचित, कपटपूर्ण तरीके से मृत्यु प्रमाण पत्र एवं एक वसीयत जो न तो पंजीयत हैं न ही वैध रूप से निष्पादित है, उक्त के आधार पर अप्रार्थी वादअधीन भूमि को खुर्द बुर्द करने में उद्यत है एवं इस हेतु अप्रार्थी संख्या 2 ने करार भी कर रखे है। श्रीमान से प्रार्थी का निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर, वाद गुणानुगुण निस्तारण तक प्रार्थना पत्र पैरा संख्या 1 में वर्णित ग्राम रहीमपुरा स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 126/1 रकबा 2 दीघा, 126/2 रकबा 13 बिस्वा एवं खसरा संख्या 174 रकबा 6 बीघा इस प्रकार कुल 8 बीघा 13 बिस्वा में अप्रार्थी संख्या 1, 2 प्रार्थीगण के निहित 3/4 हिस्से भूमि में प्रार्थीगण के काश्त में किसी प्रकार से नाधा नही करें, प्रार्थीगण को बलात बेदखल नहीं करें तथा उपरोक्त भूमि को किसी भी रूप में दान, वैचान, बय बक्शीस नहीं करें अप्रार्थी संख्या 3 रिकार्ड की यथास्थिती बनाये रखे तथा अप्रार्थी संख्या 4 के समक्ष उपरोक्त भूमि के बाबत् अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा कोई दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया जाता है तो उसका पंजीयन नहीं करें। इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थीगण के पक्ष में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के विरूद्ध पारित की जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 01.07.2016 को दर्ज किया गया तथा दिनांक अप्रार्थीगणों की तलबी करवाई गई। दिनांक 13.01.2025 तक भी जवाब पेश नहीं करने के कारण उनका जवाब बन्द कर दिया गया तथा दिनांक 24.06.2025 को हमारे द्वारा वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई जिसमें उनके द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया गया। हमारे द्वारा वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया । हमारे द्वारा धारा 212 राज. का.अधि. के तीन बिन्दुओं के अनुसार प्रार्थना पत्र का विवेचन किया गयाः–

प्रथम दृष्टया प्रकरणः– वादअधीन भूमि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार बालाबक्श के नाम खातेदारी दर्ज है तथा प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेज न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया जिससे प्रार्थी का वादअधीन भूमि में हक जाहिर हो, जिससे प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध नहीं होता है।

सुविधा का संतुलनः– :– वादअधीन भूमि राजस्व रिकार्ड के अनुसार बालाबक्श के नाम दर्ज है, प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार प्रार्थीगण का वादअधीन भूमि में प्रथम दृष्टया हक जाहिर नहीं है। अतः सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में नही है।

अपूरणीय क्षतिः– प्रार्थीगणों का प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार वादअधीन भूमि में प्रथम दृष्टया हक जाहिर नहीं है। अतः प्रार्थीगण अपूरणिय क्षति के बिन्दु को सिद्ध करने में असफल रहें हैं।

उपर्युक्त विवेचन के आधार प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 को दस्तावेज के अनुसार सिद्ध करने में असफल रहें हैं। इसीलिये प्रार्थीगणों का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.का. अधि. को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। अन्य बिन्दु वाद विचारण के दौरान साक्ष्य एवं सबूतों के आधार पर तय किये जायेंगें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 08/7/25 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो

निशा सहारण (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)